संख्या 1336 159-2-2010-16(खा)/2009

प्रेषक,

अशोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र०शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग,
उ०प्र० लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 30/12/ 2010

287
13-1-11

विषय:- वित्तीय वर्ष 2010-11 में उत्पाद विकास मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय योजना(आयोजनागत) में प्राविधानित धनराशि की अवशेष स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक खादी बोर्ड के पत्रांक 316/खा०ग्रा०बो०/2010-11 दिनांक 06.09.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में उत्पाद विकास, मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय हेतु संलग्न विवरण के अनुसार रु० 15,00,000.00 (रु० पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि में से अवशेष छः माह के लिये पचास प्रतिशत की धनराशि रु० 7,50,000.00(रु० सात लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग के निवर्तन पर रखने की सहमति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-951/दस-2010-231/2010 दिनांक 26 मार्च, 2010 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही व्यय की गयी धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी०एम०-13 में वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 को उपलब्ध कराया जाये।

4. उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद या उनके मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिये भी उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कन्ट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा आडिट के लिये भी उपलब्ध रहेगा।

5. प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-5 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2851 ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनागत-105-खादी ग्रामोद्योग-25-उत्पाद विकास मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय-42-अन्य व्यय" के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामे डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के द्वारा प्रशासकीय विभागों को समय-समय पर प्रतिनिधानित आदेशों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
प्रमुख सचिव

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

संख्या (1)/59-2-2010-16(खा)/2009 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार(लेखा परीक्षा), प्रथम, द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद,
2. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम, द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद,
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
4. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/ वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4/ औद्योगिक विकास अनुभाग-3
5. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 126 जवाहर भवन, लखनऊ,
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ,
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद,
8. गार्ड फाइल
9. [illegible]

आज्ञा से,

/

(आर0डी0कल्याण)

अनु सचिव

संख्या (1)/59-2-2010-16(रू0)/2009 तद्‌दिनांकित। 2010 का संलग्नक।

उत्पाद विकास मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय योजना की बजट फांट

क्र0सं0	मद विवरण	अनुमानित व्यय(लाख रू0 में)
01.	उत्पाद विकास मानकीकरण जागरूकता शिविर एवं गुणवत्ता नियंत्रण में टेक्निकल ट्रेनिंग	3.50
02.	परीक्षण/ मानकीकरण	4.00
योग		7.50

(रुपये सात लाख पचास हजार मात्र)

(आर0डी0कल्याण)
अनु सचिव

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com